एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

बनाम

रिन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 3600 वर्ष 2018)

अप्रैल 05, 2018

[रंजन गोगोई और आर भानुमति, न्यायमूर्ति]

अनुबंध - अनुबंध की समाप्ति - अपीलकर्ता ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा स्रोतों से 300 एमवी बिजली की दीर्घकालिक खरीद के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया - प्रतिवादी संख्या 1 का चयन किया गया - इसके अनुसरण में, सौर ऊर्जा की बिक्री और खरीद के लिए अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच बिजली खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया गया था, जिसके लिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने बैंक गारंटी जमा की थी - प्रतिवादी संख्या 1 निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थ था - नतीजतन, अपीलकर्ता द्वारा पीपीए समाप्त कर दिया गया और इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 पर जुर्माना लगाया गया - जुर्माने की रकम बैंक गारंटी से भुनानी थी - उच्च न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया, हालाँकि, बैंक गारंटी के आह्वान को बरकरार रखा - अपील पर, आयोजित: - अनुबंध की समाप्ति उचित नहीं थी - प्रतिवादी संख्या 1 बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था और उसके अनुरोध पर, राज्य ने प्रतिवादी को पट्टे पर भूमि आवंटित की - हालाँकि, भूमि पर भारी अतिक्रमण पाया गया और जब भी प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि के पास जाने की कोशिश की तो कड़ा प्रतिरोध हुआ - प्रतिवादी संख्या 1 ने परियोजना के स्थान में परिवर्तन की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया -इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने एक और जमीन खरीदी और निर्माण गतिविधियों और परियोजना को सिंक्रनाइज़ेशन के एक अग्रिम चरण में शुरू किया - दिनांक 10.07.2017 को संचार द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि परियोजना की शुरूआत अंतिम चरण में थी - हालाँकि, फिर भी अपीलकर्ता ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2017 द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया - प्रतिवादी संख्या 1 ने बदले हुए स्थान में परियोजना के विकास में पर्याप्त राशि खर्च की थी - परियोजना को चालू करने में देरी आवंटित स्थल पर प्रतिरोध और बाद में परियोजना के स्थान में परिवर्तन जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई - ये परिस्थितियाँ, हालांकि अप्रत्याशित घटना नहीं हैं, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्थान परिवर्तन और संयंत्र के निर्माण में लगने वाले समय को देरी की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए -इसके अलावा, चूंकि अनुबंध जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, देरी के लिए प्रतिवादी संख्या 1 पीपीए के खंड 2.5.1 के संदर्भ में जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है - लेकिन अनुबंध को समाप्त करने में अपीलकर्ता की कार्रवाई मनमाने ढंग से और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दी गई -जहां तक बैंक गारंटी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, बशर्ते कि बैंक गारंटी में शामिल राशि की

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति की जाए, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने इसका अनुपालन किया है।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:-

1. प्रतिवादी संख्या 1 बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था और उसके अनुरोध पर, राज्य सरकार ने अपीलकर्ता को पट्टे पर जिला राजगढ़ में 96.73 एकड़ भूमि आवंटित की थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा माप और सीमांकन अभ्यास शुरू करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार भूमि पर भारी अतिक्रमण पाया गया और जब भी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि के पास जाने की कोशिश की तो कड़ा प्रतिरोध जारी रहा और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 परियोजना स्थल तक नहीं पहुंच सका और कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू नहीं कर सका। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.09.2016 के अनुरोध पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने परियोजना के स्थान में परिवर्तन की मांग की। निदेशक मंडल ने प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 29.12.2016 के संकल्प द्वारा परियोजना के स्थान में बदलाव की अनुमति दी। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता की मंजूरी की तारीख से लगभग तिरासी दिनों की अवधि के भीतर अशोक नगर जिले के बांसरा और पिपरिया राय गांव में 253 एकड़ जमीन खरीदी। भूमि प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने 10.07.2017 की शुरुआत में निर्माण गतिविधियों और परियोजना को सिंक्रनाइज़ेशन के एक उन्नत चरण में शुरू किया। दिनांक 10.07.2017 को संचार द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि परियोजना की कमीशनिंग अंतिम चरण में है और परियोजना की कमीशनिंग की अपेक्षित तिथि 31.08.2017 है, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 पीपीए के संदर्भ में निर्धारित कमीशनिंग तिथि यानी 07.09.2017 से आगे है। [पैरा 10][834-एच; 835-ए-डी]

2. यहां तक कि जब प्रतिवादी संख्या 1 ने बदले हुए स्थान पर निर्माण गतिविधियां शुरू कीं और अपीलकर्ता को सूचित किया कि परियोजना के चालू होने की अपेक्षित तिथि 31.08.2017 है, तो अपीलकर्ता ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2017 द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि उसे पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से 267.37 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा की मंजूरी मिली है और उसने अशोक नगर जिले में 253 एकड़ की सीमा तक जमीन खरीदने में बड़ी रकम खर्च की है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी बदले हुए स्थान पर परियोजना के विकास में पर्याप्त राशि खर्च की है और 31.08.2017 तक परियोजना को चालू करने के उन्नत चरण पर पहुंच गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना को चालू करने में देरी राजगढ़ जिले में आवंटित स्थल पर सामना किए गए प्रतिरोध और बाद में परियोजना के स्थान में बदलाव जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई है। ये परिस्थितियाँ, हालांकि अप्रत्याशित घटना नहीं हैं, देरी की गणना के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्थान परिवर्तन और संयंत्र के निर्माण में लिए गए समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अशोक नगर जिले में जमीन खरीदने और

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परियोजना के विकास में बड़ी रकम का निवेश किया है और जब परियोजना चालू होने के अंतिम चरण में है, तो अनुबंध समाप्त करना उचित नहीं है। [पैरा 11][835-ई-एच; 836-ए]

3. उच्च न्यायालय ने पाया कि परियोजना को पूरा करने में केवल सोलह दिनों की देरी हुई। लेकिन अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को शर्तों को पूरा करने के लिए 210 दिनों की समयावधि दी गई थी, जिसके बाद देरी के लिए जुर्माना लगाया गया था और यदि देरी नौ महीने से अधिक हो गई, तो अपीलकर्ता अनुबंध समाप्त कर सकता था। अपीलकर्ता के अनुसार, देरी सोलह दिनों की नहीं थी; लेकिन सोलह दिनों की उक्त देरी पीपीए के तहत अनुमेय नौ महीने की अवधि से अधिक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि देरी के मामलों में, अनुच्छेद 2.5 और 2.6 में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा, चूंकि अनुबंध जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, प्रतिवादी संख्या 1 देरी के लिए पीपीए के खंड 2.5.1 के अनुसार जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अनुबंध को समाप्त करने में अपीलकर्ता की कार्रवाई मनमाना है और उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से रद्द कर दिया है। [पैरा 12][836-बी-डी]

4. अनुबंध की समाप्ति को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने पीपीए के खंड 2.5.1 के संदर्भ में बैंक गारंटी लागू करने की कार्रवाई को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, जो अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई राशि की बहाली के अधीन है, जिसे लागू किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा इसका अनुपालन किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 पर लगाए गए 11,95,54,200/- रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देने से न्याय का हित पूरा होगा। [पैरा 13][836-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3600 वर्ष 2018

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रधान पीठ जबलपुर का निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.08.2017 के विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक 12432 वर्ष 2017 में ।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुरुषइंद्र कौरव, एजी, मिश्रा सौरभ, अंकित कुमार लाल, सुश्री अनुराधा मिश्रा अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मजाग अंद्राबी, सुश्री वृंदा भंडारी, वरुण कपूर, भरत विनोद शर्मा उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. भानुमति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रिंसिपल सीट, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है। जिसमें उच्च न्यायालय ने अनुबंध की कंडिका 2.5.1 के अनुसार बैंक गारंटी के आह्वान पर अपीलकर्ता की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए अनुबंध समाप्ति के आदेश दिनांक 11.08.2017 को रद्द करते हुए रिट याचिका संख्या 12432 वर्ष 2017 को स्वीकार कर लिया।

3. संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलार्थी-म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य में अपने नवीकरणीय खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा से बिजली की खरीद की प्रक्रिया शुरू की। तदनुसार, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा स्रोतों से 300 मेगावाट बिजली की दीर्घकालिक खरीद के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.05.2015 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था। बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले 100 बोलीदाताओं में से, प्रतिवादी नंबर 1-रीन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सस्ती योग्यता आदेश दरों के आधार पर चुना गया था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 23.10.2015 को एक आशय पत्र जारी किया, जिसमें पच्चीस वर्षों के लिए 5.457 रुपये/किलोवाट के उद्धृत टैरिफ पर 51 मेगावाट क्षमता आवंटित की गई, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने सहमति पत्र दिनांक 26.10.2015 द्वारा स्वीकार कर लिया। 51 मेगावाट सौर ऊर्जा की बिक्री और खरीद के लिए अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच दिनांक 10.11.2015 को एक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया गया था। जिसके लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 बैंक से जनवरी 2018 तक वैध 15,30,00,000/- रूपये की बैंक गारंटी जमा की।

4. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध किया। तदनुसार कलेक्टर जिला-राजगढ़ ने आदेश दिनांक 21.04.2016 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को पट्टे पर आगे आवंटन के लिए 96.73 एकड़ राजस्व भूमि मप्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को आवंटित की। यह अपीलकर्ता द्वारा किया गया था, भले ही भूमि खरीद बोली लगाने वाले का दायित्व था।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार भूमि तक पहुँचने में कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि 29.06.2016 को जब भूमि की माप ली गई थी। इसे अतिक्रमित पाया गया और परियोजना टीम को भारी प्रतिरोध, शारीरिक हमलों आदि का सामना करना पड़ा और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने पत्र दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से अपीलकर्ता से परियोजना के स्थान को बदलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मांगी गई उक्त अनुमति अपीलकर्ता द्वारा अपने संकल्प दिनांक 29.12.2016 द्वारा प्रदान की गई थी। संकल्प का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"पीपीए पर हस्ताक्षर करने के 210 दिनों के बाद स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं देने की शर्त में ढील दी जाएगी और निम्नलिखित सौर ऊर्जा डेवलपर्स को पीपीए के खंड 2.5 और 2.6 के प्रावधान के अधीन, अपने संबंधित प्रोजेक्ट का स्थान बदलने की अनुमति दी जाएगी।"

6. परियोजना के स्थान को बदलने की अनुमति दिए जाने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने अशोक नगर जिले के बांसरा और पिपरिया राय गांवों में लगभग 253 एकड़ जमीन खरीदी और विकास/निर्माण गतिविधियां शुरू कीं। 10.07.2017 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को लिखा

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कि "कमीशनिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और हम 31.08.2017 (अस्थायी तिथि) को प्लांट चालू करने की उम्मीद करते हैं, जो 07.09.2017 की निर्धारित कमीशनिंग तिथि से पहले है।"

7. पीपीए के खंड 2.5.1 के अनुसार, शर्तों को प्राप्त करने के लिए 07.06.2016 से परे नौ महीने की अधिकतम अवधि अपीलकर्ता को समझौते को समाप्त करने में सक्षम बनाती है यदि प्रतिवादी संख्या 1 इस तिथि तक दंड के साथ बाद की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है जो कि पीपीए के खंड 2.5.1 के अनुसार गणना की जानी थी। पीपीए के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में अपीलकर्ता ने दिनांक 11.08.2017 के आदेश द्वारा पीपीए को समाप्त कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 पर 11,95,54,200/- रुपये का जुर्माना लगाया। व्यथित होकर, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 12432 वर्ष 2017 दायर कर प्रार्थना की कि अपीलकर्ता को प्रदर्शन बैंक गारंटी की समाप्ति और नकदीकरण को प्रभावी न करने का निर्देश दिया जाए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.08.2017 के आक्षेपित फैसले के तहत बैंक गारंटी के आह्वान को बरकरार रखते हुए अनुबंध को समाप्त करने के आदेश को रद्द करते हुए रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

8. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना है और आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया है।

9. पीपीए के खंड 2.1 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को प्रभावी तिथि यानी 06.06.2017 से 210 दिनों की अवधि के भीतर सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर पीपीए के अनुच्छेद 2.5 में शर्तों को पूरा करने के लिए पीपीए के अनुसार निर्धारित क्षति के भुगतान के अधीन नौ महीने तक का अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दी गई है।

पीपीए का खंड 2.5 इस प्रकार है:-

2.5 बाद की स्थितियाँ प्राप्त करने में देरी

2.5.1. धारा 2.1 (ए से एच) के तहत किसी भी शर्त को प्राप्त करने में देरी के मामले में, जैसा लागू हो, एमपीपीएमसीएल अप्रत्याशित घटना के अधीन, सीपीजी (विक्रेता द्वारा 30 लाख रुपये/मेगावाट की दर से जमा) को निम्नानुसार भुनाएगा:

ए) 0-3 महीने की देरी - 1% प्रति सप्ताह।

बी) 3-6 महीने की देरी - उपरोक्त (ए) के अलावा, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए 2% प्रति सप्ताह।

ग) 6-9 महीने की देरी - उपरोक्त (ए) और (बी) के अलावा, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 3% प्रति सप्ताह।

घ) 9 महीने से अधिक की देरी के मामले में, एमपीपीएमसीएल पीपीए को समाप्त कर देगा और सीपीजी की शेष राशि जारी करेगा।

10. चूँकि प्रतिवादी क्रमांक 1 अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था, प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को पट्टे पर आवंटित करने के लिए

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता को जिला राजगढ़ में 96.73 एकड़ भूमि आवंटित की। राजस्व अधिकारियों द्वारा माप और सीमांकन अभ्यास शुरू करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार भूमि पर भारी अतिक्रमण पाया गया और जब भी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि के पास जाने की कोशिश की तो कड़ा प्रतिरोध जारी रहा और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 परियोजना स्थल तक नहीं पहुंच सका और कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू नहीं कर सका। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.09.2016 के अनुरोध पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने परियोजना के स्थान में परिवर्तन की मांग की। निदेशक मंडल ने प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 29.12.2016 के संकल्प द्वारा परियोजना के स्थान में बदलाव की अनुमति दी। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता की मंजूरी की तारीख से लगभग तिरासी दिनों की अवधि के भीतर अशोक नगर जिले के बांसरा और पिपरिया राय गांव में 253 एकड़ जमीन खरीदी। भूमि प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने 10.07.2017 की शुरुआत में निर्माण गतिविधियों और परियोजना को सिंक्रनाइज़ेशन के एक उन्नत चरण में शुरू किया। दिनांक 10.07.2017 को संचार द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि परियोजना की शुरूआत अंतिम चरण में है और यह कि परियोजना के चालू होने की अपेक्षित तारीख 31.08.2017 है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार पीपीए के संदर्भ में निर्धारित कमीशनिंग तारीख यानी 07.09.2017 से आगे है।

11. यहां तक कि जब प्रतिवादी नंबर 1 ने बदले हुए स्थान पर निर्माण गतिविधियां शुरू कीं और अपीलकर्ता को सूचित किया कि परियोजना के चालू होने की अपेक्षित तिथि 31.08.2017 है, तो अपीलकर्ता ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2017 द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 06.06.2016 को अपने जवाबी हलफनामे में बताया, प्रतिवादी संख्या 1 को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से 267.37 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा की मंजूरी मिल गई है और अशोक नगर जिले में 253 एकड़ तक जमीन खरीदने में भारी रकम खर्च की है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी बदले हुए स्थान पर परियोजना के विकास में पर्याप्त राशि खर्च की है और 31.08.2017 तक परियोजना को चालू करने के उन्नत चरण पर पहुंच गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना को चालू करने में देरी राजगढ़ जिले में आवंटित स्थल पर सामना किए गए प्रतिरोध और बाद में परियोजना के स्थान में बदलाव जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई है। ये परिस्थितियाँ, हालांकि अप्रत्याशित घटना नहीं हैं, देरी की गणना के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्थान परिवर्तन और संयंत्र के निर्माण में लिए गए समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अशोक नगर जिले में जमीन खरीदने और परियोजना के विकास में बड़ी रकम का निवेश किया है और जब परियोजना चालू होने के अंतिम चरण में है, तो अनुबंध समाप्त करना उचित नहीं है।

12. उच्च न्यायालय ने पाया कि परियोजना को पूरा करने में केवल सोलह दिनों की देरी हुई। लेकिन अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को शर्तों को पूरा करने के लिए 210 दिनों की समयावधि दी गई थी, जिसके बाद देरी के लिए जुर्माना लगाया गया था और यदि देरी नौ महीने

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

से अधिक हो गई, तो अपीलकर्ता अनुबंध समाप्त कर सकता था। अपीलकर्ता के अनुसार, देरी सोलह दिनों की नहीं थी; लेकिन सोलह दिनों की उक्त देरी पीपीए के तहत अनुमेय नौ महीने की अवधि से अधिक है। उपरोक्त हमारी टिप्पणियों के आलोक में, हम इस विवाद के गुण-दोष पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि देरी के मामलों में, अनुच्छेद 2.5 और 2.6 में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा, चूंकि अनुबंध जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, प्रतिवादी संख्या 1 देरी के लिए पीपीए के खंड 2.5.1 के अनुसार जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अनुबंध को समाप्त करने में अपीलकर्ता की कार्रवाई मनमाना है और उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से रद्द कर दिया है।

13. अनुबंध की समाप्ति को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने पीपीए के खंड 2.5.1 के संदर्भ में बैंक गारंटी लागू करने की कार्रवाई को बरकरार रखा। दिनांक 22.09.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, जो बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई राशि की अपीलकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के अधीन है, जिसे लागू किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा इसका अनुपालन किया गया है। हमारे विचार में, प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 पर लगाए गए 11,95,54,200/- रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से न्याय का हित पूरा होगा।

14. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 इस फैसले की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को 11,95,54,200/- रुपये का जुर्माना अदा करेगा। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान अपील खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"